रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 26, 1988/कार्तिक 4, 1910
No. 225] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 1988/KARTIKA 4, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1988

सं. एफ. 4(5) डब्ल्यू एण्ड एम/88--10.30 प्रतिशत ऋण, 1996, 11.00 प्रतिशत ऋण, 2003 (तीसरा निर्गम) और 11.50 प्रतिशत ऋण, 2008 (तीसरा निर्गम) के लिए 1500 करोड़ रुपयों की कुल राशि के वास्ते 2 नवम्बर 1988 को बैंकिंग समय की समाप्ति तक अभिदान नकदी में या भारत सरकार के 6 प्रतिशत ऋण, 1988 की प्रतिभूतियों के रूप में स्वीकार किए जायेंगे। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा 2 नवंबर 1988 को छुट्टी घोषित किए जाने पर अगले कार्य दिन बैंकिंग समय की समाप्ति तक संबंधित आदाता कार्यालयों में अभिदान स्वीकार किए जायेंगे। सरकार को 1500 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत या यथासंभव उसके निकट तक के अभिदानों को रख लेने का अधिकार है।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों को कुल अभिदान राशि 1650 करोड़ रुपयों से अधिक हो तो अभिदाताओं को आनुपातिक आधार पर नकदी में आंशिक आबंटन किया जाएगा। यदि आंशिक आबंटन किया जाता है तो आंशिक आबंटन के बाद यथाशीघ्र अधिक अभिदान की राशि लौटा दी जाएगी। इस प्रकार लौटायी गयी राशियों पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा।

3. रु. 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 2 नवंबर 1996 को सममूल्य पर प्रतिदेय 10.30 प्रतिशत ऋण, 1996

(i) वापसी अदायगी की तारीख--ऋण 2 नवंबर 1996 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।

(iii) निर्गम मूल्य—प्रत्यक रु. 1,000.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु. 1,000.00 होगा ।

(iii) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 2 नवंबर 1988 से वार्षिक 10.30 प्रतिशत होगी । प्रत्येक छमाही में 2 मई और 2 नवंबर को ब्याज अदा किया जाएगा । इस प्रकार अदा किए गए ब्याज पर नीचे दिए हुए अनुच्छेद 10 और 11 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा ।

4. रु. 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 23 मई 2003 को सममूल्य पर प्रतिदेय 11.00 प्रतिशत ऋण, 2003 (तीसरा निर्गम)

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 23 मई 2003 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा ।

(2) निर्गम मूल्य—प्रत्येक रु. 1000.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु. 1,000.00 होगा ।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 2 नवंबर 1988 से वार्षिक 11.00 प्रतिशत होगी । 2 नवंबर 1988 से 22 नवंबर 1988 (सहित) तक की अवधि का ब्याज 23 नवंबर 1988 को अदा किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 23 मई और 23 नवंबर को ब्याज अदा किया जाएगा । इस प्रकार अदा किए गए ब्याज पर नीचे दिए हुए अनुच्छेद 10 और 11 के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर लगेगा।

5. रु. 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 23 मई 2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय 11.50 प्रतिशत ऋण, 2008 (तीसरा निर्गम)

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 23 मई 2008 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा ।

(2) निर्गम मूल्य—प्रत्येक रु. 1,000.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु. 1000.00 होगा ।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 2 नवंबर 1988 से वार्षिक 11.50 प्रतिशत होगी । 2 नवंबर 1988 से 22 नवंबर 1988 (सहित) तक की अवधि का ब्याज 23 नवंबर 1988 को अदा किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 23 मई और 23 नवंबर को ब्याज अदा किया जाएगा । इस प्रकार अदा किए गए ब्याज पर नीचे दिए हुए अनुच्छेद 10 और 11 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा ।

6. उपर्युक्त ऋणों के मामले में ब्याज की शुद्ध राशि, निकटतम पूर्ण रूपए में पूर्णांकित करने के बाद अदा की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे से कम के ब्याज को हिसाब में नहीं लिया जाएगा और पचास या उससे अधिक पैसों को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा ।

परिवर्तन की शर्तें

7. 6 प्रतिशत ऋण, 1988 की प्रतिभूतियां सममूल्य पर नए ऋणों में परिवर्तन के लिए स्वीकार की जायेंगी । परिवर्तन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 6 प्रतिशत ऋण 1988 की प्रतिभूतियों पर नयी प्रतिभूतियां जारी करते समय वार्षिक 6 प्रतिशत की दर पर 1 नवंबर 1988 सहित उस दिन तक का ब्याज अदा किया जाएगा ।

पूरक व्यवस्थाएं

8. आवेदन-पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में स्वीकार किए जायेंगे :—

(क) अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, बंबई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय; और

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए स्थानों को छोड़कर भारत में सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं ।

9. ब्याज अदा करने का स्थान—इन ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, बंबई कलकत्ता, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में स्थित लोक ऋण कार्यालयों तथा भारत में जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों को छोड़कर अन्यत्र किसी राजकोष या उप-राजकोष में ब्याज अदा किया जाएगा ।

10. ब्याज अदा करते समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों पर) काटे गए कर की वापसी अदायगी उन ऋण-धारकों को प्राप्त होगी जिन पर कर लागू नहीं है या जिन पर ऐसी दरों पर कर लागू होता है जो काटे गए कर की दर से कम हों ।

जिस धारक पर कर लागू नहीं है या निर्धारित दर से कम दर पर कर लागू है वह जिले के आयकर अधिकारी को आवेदन कर उनसे एक ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्राधिकृत किया गया हो कि कर की कटौती किए बिना या धारक पर लागू होने वाली न्यूनतम दर पर कर की कटौती करके उसे ब्याज अदा किया जाए ।

भारत का निवासी ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल आय छूट की सीमा से अधिक नहीं है, ब्याज अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को निर्धारित फार्म में दो प्रतियों में घोषणा-

पत्र भेजने पर कर की कटौती किए बिना ब्याज की राशि प्राप्त कर सकता है ।

11. अब जारी किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज और इसके पहले की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से मिलने वाली आय को वार्षिक 7,000 रुपयों की सीमा तक और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठ के अन्य उपबंधों के अधीन आयकर से छूट प्राप्त होगी ।

12. अब जारी किए जाने वाले ऋणों में किए जाने वाले निवेशों के मूल्य और इसके पहले सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों और संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य निवेशों के मूल्य को भी अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी ।

13. प्रतिभूतियां केवल स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में जारी की जायेंगी ।

14. ऋणों के लिए आवेदनपत्र– ऋणों के लिए आवेदन पत्र रु. 1,000 या उसके गुणजों के लिए होने चाहिए ।

15. आवेदनपत्र इसके साथ संलग्न फार्म में या किसी ऐसे दूसरे फार्म में होने चाहिए जिसमें राशि, आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख हो जहां आवेदक ब्याज की अदायगी की अपेक्षा करता है ।

16. आवेदनपत्रों के साथ आवश्यक राशि नकदी या चेक के रूप में या 6 प्रतिशत ऋण, 1988 की प्रतिभूतियों, जो परिवर्तन के लिए प्रस्तुत की जा रही है, के रूप में प्रेषित की जानी चाहिए । भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले चेक संबंधित बैंक के नाम आहरित किए जाने चाहिए । परिवर्तन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियां धारक द्वारा सरकार को निम्नप्रकार अंतरित की जानी चाहिए—

(1) यदि स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में हों तो प्रमाण-पत्र के पीछे अंतरण विलेख के फार्म पर किसी साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर करके ।

(2) यदि वचनपत्रों के रूप में हों तो उन्हें निम्नप्रकार से पृष्ठांकित किया जाए—
"भारत के राष्ट्रपति को अदा करें"

17. स्वीकृत बैंकों को उनके द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से प्रस्तुत ऋण आवेदनपत्रों पर किए गए आबंटनों पर तथा दलालों को उनके द्वारा प्रस्तुत और उनको मुहरयुक्त ऋण आवेदनपत्रों पर किए गए आबंटनों पर प्रति रु. 100.00 (सांकेतिक) 6 पैसे की दर पर दलाली अदा की जाएगी । बैंक—वाणिज्य और सहकारी बैंक—उनके अपने अभिदानों के लिए दलाली की अदायगी के पात्र नहीं होंगे ।

राष्ट्रपति के आदेश से,

वी. बालसुब्रमणियन, विशेष कार्य अधिकारी

दलाल की मुहर और पता

आवेदन का फार्म

मैं/हम*———————————————————————

(पूरा/पूरे नाम)

———————————————————————

इसके साथ रु. ——————(—————— ——————रुपए) के लिए नकदी*/चेक./ रु. ——————(——————————रुपए) के सांकेतिक मूल्य की 6 प्रतिशत ऋण, 1988 की प्रतिभूतियां*. प्रस्तुत करता हूं/करते है और यह अनुरोध करता हूं/करते है कि मुझे/हमें* स्टाक प्रमाणपत्र/मेरे/हमारे*.एस. जी. एल. खाते मे जमा के रूप में रु.———— के सांकेतिक मूल्य की 10.50 प्रतिशत ऋण, 1996*/11.00 प्रतिशत ऋण, 2003 (तीसरा निर्गम)* /11.50 प्रतिशत ऋण, 2008 (तीसरा निर्गम)* की प्रतिभूतियां जारी की जाएं ।

2. मैं/हम* चाहता हूं/चाहते हैं कि उनका ब्याज————————————में अदा किया जाए ।

विशेष टिप्पणी:—इस खाने में आवेदक कुछ न लिखे । प्रविष्टियां आदाता कार्यालय द्वारा की जाएंगी ।

	आद्यक्षर	दिनांक
आवेदन पत्र सं		
"दलाली नहीं" मुहर		
नकदी प्राप्त होने की तारीख		
चेक वसूल होने की तारीख		
विशेष चालू खाते में जमा करने की तारीख		
जांच की गयी		
नकदी आवेदनपत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया गया		
दलाली रजिस्टर में दर्ज किया गया		
मांग पत्र सं.		
प्रतिभूति सं.		
कार्ड सं.		
वाउचर पारित करने की तारीख		

हस्ताक्षर————————

पूरा (पूरे) नाम

————————

पता————————

————————

————————

दिनांक : नवंबर 1988

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाए ।

टिप्पणियां : 1. परिवर्तन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियां यदि वचनपत्रों के रूप में हों तो उन्हें आवेदक/कों के हस्ताक्षरों सहित इन शब्दों के साथ पृष्ठांकित किया जाए—"भारत के राष्ट्रपति को अदा करें" और यदि वे स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में हों तो उनके पीछे दिए गए अंतरण विलेख पर आवेदक किसी साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर करे/करें ।

2. प्रत्येक ऋण, अपेक्षित नए ऋण के अभिदान के प्रत्येक प्रकार के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाए ।

3. यदि आवेदक का हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के रूप में हो तो दो व्यक्ति उसके साक्षी हों । साक्षियों के हस्ताक्षरों के नीचे उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिए जाएं ।

4. यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाए तो निवेश आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज, यदि वे लोक ऋण कार्यालय में पहले ही पंजीकृत न किए गए हों तो संलग्न किए जाएं—

(i) निगमन/पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र या कार्यालय के मुद्रांक के अधीन जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित उसकी सत्य प्रतिलिपि ।

(ii) कंपनी /निकाय के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों या नियमों और विनियमों/उप-नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(iii) कंपनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत (व्यक्तियों) के पक्ष में किए गए संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि, उसके/उनके विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षर/हस्ताक्षरों के साथ ।

5. आवेदकों को, उन्हें जारी किए जाने वाले स्टाक प्रमाणपत्र/पत्रों पर छमाही ब्याज के भुगतान के लिए आदेश फार्म (लोक ऋण कार्यालय से उपलब्ध) भी भरना चाहिए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1988

No. F. 4(5) W&M/88.—Subscriptions for the issues of 10.30 per cent. Loan, 1996, 11.00 per cent. Loan, 2003 (Third Issue) and 11.50 per cent. Loan 2008 (Third Issue) for an aggregate amount of Rs. 1500 crores will be received in the form of cash or securities of Government of India 6 per cent. Loan, 1988 on the 2nd November 1988 upto the close of Banking hours. In the event of 2nd November 1988 being declared a holiday by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the subscriptions will be received at the concerned receiving offices in that State upto the close of Banking hours on the next working day. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent. or as near thereto as possible in excess of the sum of Rs. 1500 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 1650 crores, partial allotment will be made to the subscribers in cash on a proportionate basis. If partial allotment is made, the excess subscriptions will be refunded as soon as possible after partial allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. 10.30 per cent. Loan, 1996 issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 2nd November 1996.

(i) Date of Repayment.—The Loan will be repaid at par on the 2nd November 1996.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 1,000.00 for every Rs. 1,000.00 (Nominal).

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 10.30 per cent per annum from 2nd November 1988. Interest will be paid half-yearly on the 2nd May and 2nd November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 10 and 11 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

4. 11.00 per cent. Loan, 2003 (Third Issue) issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 23rd May 2003.

(i) Date of Repayment.—The Loan will be repaid at par on the 23rd May 2003.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 1,000.00 for every Rs. 1,000.00 (Nominal).

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 11.00 per cent per annum from 2nd November 1988. Interest for the period from 2nd November 1988 to 22nd November 1988 (inclusive) will be paid on 23rd November 1988 and thereafter interest will be paid half-yearly on the 23rd May and 23rd November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 10 and 11 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5. 11.50 per cent. Loan, 2008 (Third Issue) issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 23rd May 2008.

(i) Date of Repayment.—The Loan will be repaid at par on the 23rd May 2008.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 1,000.00 for every Rs. 1,000.00 (Nominal).

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 11.50 per cent per annum from 2nd November 1988. Interest for the period from 2nd November 1988 to 22nd November 1988 (inclusive) will be paid on 23rd November 1988 and thereafter interest will be paid half-yearly on the 23rd May and 23rd November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 10 and 11 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

6. The net amount of interest in respect of above loans will be paid after rounding off to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of interest less than paise fifty will be ignored and paise fifty or more will be rounded off to the next rupee.

CONVERSION TERMS

7. The Securities of 6 per cent. Loan, 1988 will be accepted for conversion into the new loans at par. Interest on the securities of 6 per cent. Loan, 1988 tendered for conversion will be paid upto and inclusive of 1st November 1988 at the rate of 6.00 per cent. per annum at the time of issue of new securities.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

8. Applications will be received at :—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay (Fort & Byculla), Calcutta, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna and Trivandrum; and

(b) Branches of the State Bank of India at all the DISTRICT HEADQUARTERS in India except at (a) above.

9. Place of Payment of Interest.—Interest on the Loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi,

Patna and Trivandrum at any Treasury or Sub-Treasury elsewhere in India except the States of Jammu & Kashmir and Sikkim.

10. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the Annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loan who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain, on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

An individual resident in India whose total income does not exceed the exemption limit can obtain, on furnishing a declaration in the prescribed form in duplicate to the person responsible for paying the interest, the amount of interest without deduction of tax.

11. Interest on the Loans now issued together with interest on other previous Government Securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 7,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

12. The value of investments in the Loans now issued together with the value of other previous investments in Government Securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth-tax Act will also be exempt from the wealth-tax upto the limit specified in the Act.

13. The securities will be issued in the form of stock only.

14. Applications for the Loans.—Applications for the loans must be for Rs. 1,000 or a multiple of that sum.

15. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

16. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque or securities of 6 per cent. Loan, 1988 which are being offered for conversion. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India or the State Bank of India should be drawn in favour of the bank concerned. The securities tendered for conversion must be transferred by the holder to the Government—

(i) in the case of Stock Certificates, by signing the form of transfer deed on the reverse of the certificate before a witness.

(ii) in the case of Promissory Notes, by endorsing them in the manner indicated below:—
Pay to the President of India'.

17. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100.00 (Nominal) to recognised banks on allotments in respect of applications for the loans tendered by them on behalf of their clients and brokers on allotments made in respect of applications for the loans tendered by them and bearing their stamp. Banks—Commercial and Co-operative banks—will not be eligible for payment of brokerage in respect of their own subscriptions.

By order of the President,
V. BALASUBRAMANIAN, Officer on Special Duty.

BROKER'S STAMP WITH ADDRESS

FORM OF APPLICATION

I/We*.....
(Full Name(s) in Block Letters)
.....

herewith tender *Cash/Cheque for Rs.....(Rupees.....)/*Securities of 6 per cent. Loan, 1988 of the nominal value of Rs.....(Rupees.....) and request that Securities of 10.30 per cent. Loan, 1996*/11.00 per cent . Loan, 2003 (Third Issue)*/11.50 per cent. Loan 2008 (Third Issue)* of the nominal value of Rs..... may be issued to me/us* in the form of Stock Certificate*/Credit to my/our* S.G. L. Account.

2. I/We* desire that interest be paid at.....—.....

N.B.—The applicant should not write anything in this cage. The entries will be filled in by the Receiving Office

	Initials	Date
Application No.		
N.B. Stamp		
Cash Received on		
Cheque Realised on		
Credited to Special Current Account on		
Examined		
Cash Applications Register posted		
Brokerage Register posted		
Indent No.		
Scrip No.		
Card No.		
Voucher passed on		

Signature(s).....

Name(s) in full.....
(Block Letters)
.....
.....

Address .....
.....
.....

Dated the .....
of November 1988.

*Delete what is not required.

Notes: - (1) Securities tendered for conversion should be endorsed with the words 'Pay to the President of India' over the signature of the applicant/s, if they are in the form of Promissory Notes and the transfer deed on the reverse should be signed by him/them before a witness, if they are in the form of Stock Certificates.

(2) Separate applications should be made for each Loan and each form of subscription of the New Loan required.

(3) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(4) If the application is made in the name of the registered body, the undernoted documents, if not a already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:—

(i) Certificate of Incorporation/Registration in original or a copy thereof certified as true by the issuing authority under this office seal.

(ii) Certified copies of Memorandum and Articles of Association or the Rules and Regulations/ Bye-laws of the company/body.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person/s authorised to deal in Government Securities on behalf of the company/body together with his/their duly attested specimen signature(s).

(5) Applicants should also complete a Mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for remittance of half-yearly interest on Stock Certificate/s issued to them.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988